This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 01 जनवरी, 2018 / 11 पौष, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

"Greater Participation for a Stronger Democracy"

HIMACHAL PRADESH ELECTION DEPARTMENT
Block No.38, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009

NOTIFICATION

Dated : the 29th *December*, 2017

No. 5-9/2014-ELN.— On the recommendations of Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order promotion of Sh. Vijay Kumar, Election Kanungo

to the post of Naib-Tehsildar (Election) in the pay scale of Rs. 10300-34800/- plus Rs. 4800/- Grade Pay against vacancy of Naib-Tehsildar (Election), with immediate effect.

The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to order posting of aforesaid official as Naib-Tehsildar (Election) in the District Election Office, Mandi against vacancy.

The above officer will remain on probation for a period of two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

The above officer will have to exercise option for fixation of pay under the provisions of saving clause of FR-22(I)(a)(1) within a period of one month from the date of joining as Naib-Tehsildar (Election).

This promotion shall be subject to the final decision of the O. A. No. 940/2015 titled as Chhewang Dorje *vs* **State of H. P. and Others pending before the Hon'ble H. P. Administrative Tribunal, Shimla.**

By order,
Sd/-
Chief Electoral Officer-cum-*Secretary(Election).*

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 28th *December*, 2017

No. EDN-A-Kha (2)-53/2017.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to terminate the re-employment of Shri Balwant Chauhan, Principal (College Cadre) (Retired) at present posted at GDC Saraswati Nagar (Shimla) who was re-employed after attaining the age of superannuation for a period of one year *w.e.f.* 1st June, 2017 to 31st May, 2018 *vide* this department Notification of even No. dated 30th May, 2017 with immediate effect.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to assign the additional charge of Principal, GDC Saraswati Nagar (Shimla) to Principal, GDC Seema (Rohru) (Shimla) without any extra remuneration, till further orders.

By order,
SANJAY GUPTA,
Pr. Secretary (Education).

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, *the* 18th *December*, 2017

No. EDN-A- Ka (3)-5/2013-Part-II.—The words **"APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University (Establishment and Regulation) Act, 2014 (Act No.8 of 2014)"** appearing in the First Statutes of APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University, 2017 Notified vide this department

Notification no. EDN-A-Ga(16)-2/2014-Loose dated 25th September, 2017 be read as **APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University (Establishment and Regulation) Act, 2012 (Act No. 20 of 2013)**.

By order,
SANJAY GUPTA,
Pr. Secretary (Education).

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla-4, *the* 29th *December*, 2017

File No. VS/Estt./P.F./6-25/87-II.—The Hon'ble Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha in pursuance to letter No. Per (AP.B)B(15)-6/2012, dated 27th December, 2017 and supersession of Notification of even No. dated 09th October, 2017 is pleased to terminate the reemployment in favour of Sh. Lal Singh Kanwar, Deputy Secretary (Retd.) *w.e.f.* 27th December, 2017(AN).

By order,
Speaker,
H. P. Vidhan Sabha.

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT, SHIMLA-4

NOTIFICATION

Shimla-4, *the* 30th *December*, 2017

No. VS/Estt./Transfer/6-33/2001-IV.—In supersession to all previous notifications/orders and in exercise of the power conferred in Rule 5 of the Right to Information Act, 2005, the Hon'ble Speaker is pleased to designate Smt. Neelam Lohia, Under Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat as Public Information Officer in respect of HP Vidhan Sabha Secretariat in public interest with immediate effect.

These orders will come into force with immediate effect.

By order,
Secretary,
H. P Vidhan Sabha.

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)–11 / 2014.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	19 / 2000	रावग	रावग	121 / 1, 215 / 1, 422 / 1, 498 / 1 किता 4	11–58–91	उत्तरः डीपीएफ दवाला दक्षिणः महाल रावग पूर्वः उप महाल फेवट व महाल रावग पश्चिमःमहाल रावग	कोटगढ	कोटगढ़	शिमला

आदेश द्वारा
तरूण कपूर
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-11/2014 Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 7th *December,* 2017

Notification No. FFE-B-F(14)-11/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	19/2000	Ravag	Ravag	121/1, 215/1, 422/1, 498/1 Kita-4	11-58-91	North: DPF Davala South: Muhal Ravag East: Up Muhal Fevat, Muhal Ravag West: Muhal Ravag	Kotgarh	Kotgarh	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)–12 / 2014.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के साम्पतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	20 / 2000	पालवी	पालो	264, 276 / 1, 277 / 1, 278, 305, 306, 307, 314 / 1, 352 / 1 किता– 9	8–44–50	उत्तरः महाल पालो दक्षिणः डीपीएफ कोटवाड़ी, महाल कोट पूर्वः महाल पालो पश्चिमः डीपीएफ कोटवाड़ी, उप महाल पालो	कोटगढ़	कोटगढ़	शिमला

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

————————

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-69/2013, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 7th *December*, 2017

Notification No. FFE-B-F(14)-12/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the

schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	20/2000	Palvi	Palo	264, 276/1, 277/1, 278, 305, 306, 307, 314/1, 352/1 Kita-9	8-44-50	North:Muhal Palo South: DPF Kotvadi, Muhal Kot East: Muhal Palo West: DPF Kotvadi, Up Muhal Palo	Kotgarh	Kotgarh	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)–13 / 2014.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	23 / 2000	महौल	कैला	217, 220, 221, 257 / 1, 285, 294, 303, 304, 307, 341 किता 10	52–00–97	उत्तरः महाल रावग व कुन्जला दक्षिणः डीपीएफ महौल पूर्वः डीपीएफ महौल पश्चिमः डीपीएफ महौल, व महाल केला	कोटगढ़	कोटगढ़	शिमला

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-13/2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the 7th December*, 2017

Notification No. FFE-B-F(14)-13/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	23/2000	Mahol	kaila	217, 220, 221, 257/1, 285, 294, 303, 304, 307, 341 Kita- 10	52-00-97	North: Muhal Ravag, Kunjla South: DPF Mahol East: DPF Mahol West: DPF Mahol, Muhal Kaila	Kotgarh	Kotgarh	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)–14 / 2014.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाए	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	24 / 2000	बाग	पालो	740, 747, 748, 750, 752, 755, 756 किता 7	7–60–32	उत्तरः महाल वील दक्षिणः महाल सेई पूर्वः महाल सेई पश्चिमः महाल पालो	कोटगढ़	कोटगढ़	शिमला

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-14/2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the 7th December*, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-14/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	24/2000	Bag	Palo	740, 747, 748, 750, 752, 755, 756 Kita-7	7-60-32	North: Muhal Veel South: Muhal Sei East: Muhal Sei West: Muhal Palo	Kotgarh	Kotgarh	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)–15 / 2014.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	25 / 2000	शरमला	शरमटू	534, 535, 554 555, 559 / 1, 562, 620, 623 624 / 1 किता 9	12–31–31	उत्तरः डीपीएफ महौल दक्षिणः महाल कलांटू पूर्वः डीपीएफ. निहाणी पश्चिमः महाल शरमला	कोटगढ़	कोटगढ़	शिमला

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

————————

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-15/2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 7*th December*, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-15/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	25/2000	Sharmala	Sharmatu	534, 535, 554, 555, 559/1, 562, 620, 623, 624/1 Kita-9	12-31-31	North:DPF Mahol South: Muhal Kalantu East:DPF Nihani West:Muhal Sharmala	Kotgarh	Kotgarh	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)–16 / 2014.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेष के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	27 / 2000	सुनपूर	उप महाल कोट	470, 476 / 1 किता 2	5–00–76	उत्तरः उप महाल कोट दक्षिणः उप महाल कोट पूर्वः उप महाल कोट पश्चिमः उप महाल कोट	कोटगढ़	कोटगढ़	शिमला

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

————————

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-16/2014, dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 7th *December*, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-16/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	27/2000	Sunpur	Up Muhal Kot	470, 476/1 Kita-2	5-00-76	North: Up Muhal Kot South: Up Muhal Kot East: Up Muhal Kot West: Up Muhal Kot	Kotgarh	Kotgarh	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)–17 / 2014.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	28 / 2000	सैई	सैई	119 / 1, 121 / 1 किता 2	9–06–52	उत्तरः महाल सैई दक्षिणःमहाल सैई पूर्वः उप महाल रावग पश्चिमः महाल सैई	कोटगढ़	कोटगढ़	शिमला

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-17/2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the 7th December,* 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-17/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	28/2000	Sei	Sei	119/1, 121/1 Kita-2	9-06-52	North: Muhal Sei South: Muhal Sei East: Up Muhal Ravag West: Muhal Sei	Kotgarh	Kotgarh	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)–18 / 2014.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	29 / 2000	कोट	पालो	745	7–20–09	उत्तरः महाल वील दक्षिणः महाल कयारा पूर्वः महाल वील पश्चिमः महाल कयारा	कोटगढ़	कोटगढ़	शिमला

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

————————

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-18/2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 7*th December*, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-18/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the

schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	29/2000	Kot	Palo	745	7-20-09	North: Muhal Veel South: Muhal Kayara East: Muhal Veel West: Muhal Kayara	Kotgarh	Kotgarh	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)–19/2014.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	30 / 2000	दवाला	दवाला	53, 144, 203 / 1, 204, 205, 242, 245, 271, 292, 306 किता 10	16–26–45	उत्तरः महाल रेवग दक्षिणः डीपीएफ दवाला पूर्वः डीपीएफ दवाला पश्चिमः महाल दवाला	कोटगढ़	कोटगढ़	शिमला

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

————————

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-19/2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 7*th December*, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-19/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act *ibid,* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	30/2000	Davala	Davala	53, 144, 203/1, 204, 205, 242, 245, 271, 292, 306 Kita -10	16-26-45	North: Muhal Revag South: DPF Davala East: DPF Davala West: Muhal Davala	Kotgarh	Kotgarh	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)–20 / 2014.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के साम्पतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	31 / 2000	कुन्जला	उप महाल रावग	508 / 1, 515 / 1, 899 / 1, 902 / 1, 938 / 1, 952 / 1, 953 किता 7	14–14–90	उत्तरः उप महाल रावग दक्षिणः महाल केला पूर्वः उप महाल फेवट, कुन्जला पश्चिमः उप महाल रावग	कोटगढ़	कोटगढ़	शिमला

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-20/2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 7*th December*, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-20/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	31/2000	Kunjla	Up Muhal Ravag	508/1, 515/1, 899/1, 902/1, 938/1, 952/1, 953 Kita-7	14-14-90	North: Up Muhal Ravag South; Muhal Kela East: Up Muhal Fevat, Kunjla West: Up Muhal Ravag	Kotgarh	Kotgarh	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)–21 / 2014.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के साम्पतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	35 / 2000	बिजली	वील	1 / 1, 39, 40, 41 / 1, 42 / 1, 134 / 1 किता 6	9–95–43	उत्तरः महाल बटाड़ा दक्षिणः महाल क्यारा पूर्वः डीपीएफ दवाला पश्चिमः महाल कयारा	कोटगढ़	कोटगढ़	शिमला

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-21/2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 7th *December*, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-21/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	35/2000	Bijali	Veel	1/1, 39, 40, 41/1, 42/1, 134/1 Kita-6	9-95-43	North: Muhal Batada South: Muhal Kayara East: DPF Davala West: Muhal Kayara	Kotgarh	Kotgarh	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)–22 / 2014.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के साम्पतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	37 / 2000	वील	वील	401 / 1, 406, 426 / 1 किता 3	6–38–12	उत्तरः महाल वील दक्षिणः महाल सेई पूर्वः महाल रावग पश्चिमः महाल सेई	कोटगढ़	कोटगढ़	शिमला

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

————————

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-22/2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the 7th December*, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-22/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	37/2000	Veel	Veel	401/1, 406, 426/1 Kita-3	6-38-12	North: Muhal Veel South: Muhal Sei East: Muhal Ravag West: Muhal Sei	Kotgarh	Kotgarh	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)–23 / 2014.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	18 / 2000	थाथल लोअर	थाथल	1, 2, 4 / 1, 5 / 1, 238 / 1, 239 / 1, 244 / 1 किता 7	19–45–71	उत्तरः महाल रोपा, थाथल दक्षिणः महाल थाथल, डीपीएफ नरैंटी पूर्वः महाल थाथल पश्चिमः महाल फेवकड़ी	कुमारसैन	कोटगढ़	शिमला

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-23/2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 7th *December*, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-23/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	18/2000	Thathal Loar	Thathal	1, 2, 4/1, 5/1, 238/1, 239/1, 244/1 Kita-7	19-45-71	North: Muhal Ropa, Thathal South: Muhal Thathal, DPF Narainti East: Muhal Thathal West: Muhal Fevkadi	Kumar Sain	Kotgarh	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)–24 / 2014.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के साम्पतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	21 / 2000	पलगैड	लौली	129, 130, 711 किता 3	45–39–58	उत्तरः डीपीएफ कयालू दक्षिणः महाल लौली पूर्वः महाल घार पश्चिमः महाल लौली	कुमारसैन	कोटगढ़	शिमला

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-24/2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 7th *December*, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-24/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of

the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	21/2000	Palgaid	Louli	129, 130, 711 Kita 3	45-39-58	North: DPF Kayalu South: Muhal Louli East: Muhal Dhar West: Muhal Louli	Kumar Sain	Kotgarh	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)–25 / 2014.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्षित वन भूमि / बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पष्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	22 / 2000	पनैला बाग	लौली	255, 312, 313, 824 / 1, 825 / 1 किता 5	15–22–65	उत्तरः महाल लौली दक्षिणः महाल नरैंटी धार पूर्वः महाल घार पश्चिमः डीपी एफ नाग टिक्कर	कुमारसैन	कोटगढ़	शिमला

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-25/2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 7*th December*, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-25/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	22/2000	Panela Bag	Louli	255, 312, 313, 824/1, 825/1 Kita-5	15-22-65	North: Muhal Louli South: Muhal Narainti Dhar East: Muhal Dhar West: DPF NagTikar	Kumar Sain	Kotgarh	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला –2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)–26 / 2014.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के साम्पतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	26 / 2000	थाथल अपर	थाथल	179 / 1, 348 / 1 किता 2	16–71–24	उत्तरः महाल थाथल, डीपीएफ खूडलू दक्षिणः महाल थाथल पूर्वः डीपीएफ खूडलू पश्चिमः डीपीएफ खूडलू	कुमारसैन	कोटगढ़	शिमला

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-26/2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 7th *December*, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-26/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	26/2000	Thathal Appar	Thathal	179/1, 348/1 Kita 2	16-71-24	North: Muhal Thathal, DPF Khudalu South: Muhal Thathal East: DPF Khudalu West: DPF Khudalu	Kumar Sain	Kotgarh	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)–27 / 2014.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेष के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाए	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	38 / 2000	नाग टिक्कर,	लौली	80, 143, 144, 146, 148, 187, 202, 205 / 1, 234, 235, 235 / 1, 242, 456 / 1, 476, 511, 525 किता 16	112–98–98	उत्तरः डीपीएफ. कयालू दक्षिणः महाल रौणी पूर्वः डीपीएफ. पलगैड,महाल लौली, डीपीएफ पनेला बाग, डीपीएफ नरैंटी पश्चिमः डीपीएफ सरया, डीपीएफ षिन्टू	कुमारसैन	कोटगढ़	शिमला

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

————————

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-27/2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 7*th December*, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-27/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	38/2000	Nag Tikkar	Louli	80, 143, 144, 146, 148, 187, 202, 205/1, 234, 235, 235/1, 242, 456/1, 476, 511, 525 Kita -16	112-98-98	North: DPF Kayalu South: Muhal Roni East: DPF Palgaid, Muhal Louli, DPF PnelaBag, DPF Narainti West: DPF Saraya, DPF Shintu	Kumar Sain	Kotgarh	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla–171004*, the 1st January,* 2018

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2018.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 31st December, 2017 is hereby published for general information:—

"मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का आह्वान मंगलवार, 9 जनवरी, 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला में समवेत होने के लिए करता हूं।

आचार्य देवव्रत,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।"

By Order:-

(SUNDER SINGH VERMA**),**
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला–171004, 1 जनवरी, 2018

सं0:वि0स0–विधायन–प्रा0 / 1–1 / 2018.––राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :––

''मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का आह्वान मंगलवार, 9 जनवरी, 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला में समवेत होने के लिए करता हूं।

आचार्य देवव्रत,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।''

आदेश द्वारा:–

(सुन्दर सिंह वर्मा)
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

In the Court of Executive Magistrate Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

1. Shri Abhisek Lama s/o Sh. Shankar Singh Lama, r/o Chilgari, Tehsil Dharamshala, District Kangra.

2. Smt. Anju Lama d/o Sh. Dil Bhadur, r/o Solan, Tehsil Dharamshala , District Kangra.

Versus

1. The General Public

2. Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala.

PUBLIC NOTICE

Whereas, the above named applicant have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 06-12-2014 at her but has not been found entered in the records of the Registrar of marriages *i. e.* Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 03-01-2018 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so orders shall be passed *ex-parte* against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Tehsil Dharamshala, District Kangra, H. P.

In the Court of Executive Magistrate Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

1. Shri Anuj Kumar s/o Sh. Dharam Pal, r/o Sakoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra.

2. Smt. Poonam Patyal d/o Sh. ---------- r/o Dhanat, Tehsil jawalamukhi, Dharamshala, Distt. Kangra.

Versus

1. The General Public

2. Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala.

PUBLIC NOTICE

Whereas, the above named applicant have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 22-05-2017 at her but has not been found entered in the records of the Registrar of marriages *i. e.* Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 03-01-2018 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so orders shall be passed *ex-parte* against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Tehsil Dharamshala, District Kangra, H. P.

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0**

श्री / श्रीमती Sukman Ghale बनाम आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता

श्री / श्रीमती Sukman Ghale पुत्र / पत्नी श्री Sekha Ghale, निवासी Slate Godam, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Phool Maya की जन्म तिथि 15–2–1974 है परन्तु एम0 सी0 / ग्राम पंचायत Slate Godam में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Phool Maya का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 04–01–2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला।

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0**

श्री / श्रीमती Anju Gurung बनाम आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता :

श्री / श्रीमती Anju Gurung पुत्र / पत्नी Sushil Kumar, निवासी Yol Cantt., तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Priti Gurung की जन्म तिथि 01–03–1994 है परन्तु एम0 सी0 / ग्राम पंचायत Cantt. Board में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Priti Gurung का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 04–01–2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला।

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0**

श्रीमती Darshna Kumari बनाम आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Darshna Kumari पुत्र / पत्नी श्री Mohinder Singh, निवासी Sukkar, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Surjeet Singh का जन्म तिथि 12–04–1978 है परन्तु एम0 सी0 / ग्राम पंचायत Sukkar में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Surjeet Singh का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 04–01–2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला।

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0**

श्रीमती Darshna Kumari बनाम आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता :

श्रीमती Darshna Kumari पुत्र / पत्नी श्री Mohinder Kumar, निवासी Sukkar, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Surindra Kumari का जन्म तिथि 12–04–1983 है परन्तु एम0 सी0 / ग्राम पंचायत Sukkar में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Surindra Kumari का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 04–01–2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला।

ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितिय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री Amit Kumar बनाम आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता :

श्री Amit Kumar पुत्र श्री Lt Desh Raj, निवासी Garoh, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Sister Sapna Devi की मृत्यु दिनांक 22–04–2006 को हुई है परन्तु नगर निगम / ग्राम पंचायत Garoh में मृत्यु पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Sapna Devi की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 02–01–2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला।

––––––––––

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्रीमती Darshna Kumari बनाम आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता :

श्रीमती Darshna Kumari पुत्री श्री Mohinder Singh, निवासी Sukkar, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Beena Devi का जन्म दिनांक 16–06–1986 है परन्तु एम0सी0 / ग्राम पंचायत Sukkar में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Beena Devi का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 04–01–2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला।

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Rajveer Singh s/o Sh. Avninder Singh s/o Sh. Hazara Singh, r/o H. No. 3/12 Ram Nagar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.

2. Smt. Minakshi d/o Sh. Man Chand s/o Sh. Balak Ram, r/o Village & P.O. Shiwan, Tehsil Kumarsain, District Shimla, H. P. . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Rajveer Singh s/o Sh. Avninder Singh s/o Sh. Hazara Singh, r/o H. No. 3/12 Ram Nagar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Smt. Minakshi d/o Sh. Man Chand s/o Sh. Balak Ram, r/o Village & P.O. Shiwan, Tehsil Kumarsain, District Shimla, H. P (at present wife of Sh. Rajveer Singh s/o Sh. Avninder Singh s/o Hazara Singh, r/o H. No. 3/12 Ram Nagar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 04-05-2017 according to Hindu rites and customs at Durga Mata Temple, Durgaghat, Tehsil Arki, Distt. Solan, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 03-01-2018 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 04th day of December, 2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H.P.).*

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Divanshu s/o Mahender Kumar s/o Sh. Nag, r/o Badidhar, P.O. Katindhi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.

2. Smt. Lata Devi d/o Sh. Narotam Ram, s/o Rulia Ram, r/o Village Thathar, P.O. & Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H. P. . . *Applicants*.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Divanshu s/o Mahender Kumar s/o Sh. Nag, r/o Badidhar, P.O. Katindhi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Smt. Lata Devi d/o Sh. Narotam Ram, s/o Rulia Ram, r/o Village Thathar, P.O. & Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H. P. (at present wife of Sh. Divanshu s/o Mahender Kumar s/o Sh. Nag, r/o Badidhar, P.O. Katindhi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 06-02-2017 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-01-2018 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 08th day of December, 2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Sadar, District Mandi (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 16 / 14—09—2017

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री घुमा राम, निवासी गांव घरटेहड, महाल डी0पी0एफ0 काथला, उप—तहसील छतरी, जिला मण्डी, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.——जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करवाने बारे।

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री घुमा राम, निवासी गांव घरटेहड, महाल डी0पी0एफ0 काथला, उप—तहसील छतरी, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उस का नाम पंचायत रिकार्ड में राजेश कुमार दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के मुहाल डी0पी0एफ0 काथला में गलती से राज कुमार दर्ज हुआ है। अब आवेदक पंचायत रिकार्ड के आधार पर राजेश कुमार दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 18–01–2018 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन–पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 14–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 13 / 12–12–2017

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री बृज लाल, निवासी महाल व डा0 छतरी, उप–तहसील छतरी, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.––जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करवाने बारे।

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री बृज लाल, निवासी महाल व डा0 छतरी, उप–तहसील छतरी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में प्रेम चन्द दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के मुहाल छतरी में गलती से प्रेम सिंह दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर प्रेम चन्द दर्ज रखना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 18–01–2018 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन–पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 12–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 14 / 12–12–2017

श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री आलम चन्द, निवासी महाल श्वान, डा0 विहणी, उप–तहसील छतरी, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.––जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करवाने बारे।

श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री आलम चन्द, निवासी महाल श्वान, डा0 विहणी, उप–तहसील छतरी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उस का नाम पंचायत रिकार्ड में प्रताप सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के मुहाल श्वान में गलती से थापे राम दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर प्रताप सिंह दर्ज रखना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 18–01–2018 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन–पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 12–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

————————

In the Court of Shri Raghav Sharma (I.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)

In the matter of : 13226-31 Dated : 16-12-2017

1. Shri Megh Singh s/o Shri Tibhalu, r/o Nachhet, P.O. Shilnoo, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P.

2. Smt. Anjana Kumari d/o Shri Gurdwaru Ram, P.O. Jai Devi, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954

Shri Megh Singh and Smt. Anjana Kumari have filed an application on 14-12-2017 alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-06-2014 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 15-01-2018. The objection received after 15-01-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 14-01-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

RAGHAV SHARMA,
Marriage Officer-*cum*-Sub-Divisional Magistrate,
Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी चच्योट स्थित गोहर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री बबल सिंह पुत्र श्री राम सिंह उर्फ भदरू, निवासी़ गांव नौण, डाकघर कोट, तहसील चच्योट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.––नाम दरूस्ती बारे आवेदन।

इस न्यायालय में श्री बबल सिंह पुत्र श्री राम सिंह उर्फ भदरू, निवासी़ गांव नौण, डाकघर कोट, तहसील चच्योट ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसके पिता का नाम पंचायत अभिलेख में राम सिंह तथा राजस्व अभिलेख में भदरू दर्ज है। जिसमें कि परस्पर भिन्नता पाई जा रही है। वास्तव में आवेदक के पिता का नाम राम सिंह उर्फ भदरू था। घर में उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता था। यद्यपि आवेदक के पिता श्री राम सिंह का निधन दिनांक 12–04–2010 को हो चुका है। प्रार्थी ने साक्ष्य के रूप में प्रतिलिपि नकल परिवार रजिस्टर, नकल जमाबन्दी, मृत्यु प्रमाण–पत्र, 10वीं का प्रमाण–पत्र एवं अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त इस मामले में क्षेत्रीय कर्मचारी के माध्यम से जांच भी करवाई गई। जिसमें पाया गया कि आवेदक के पिता का नाम वास्तव में राम सिंह उर्फ भदरु ही था।

अतः इस आशय की जानकारी आम जनता को हो, कोई उजर / एतराज हो तो वो एक माह के भीतर अपना पक्ष दिनांक 03–01–2018 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। इस इश्तहार के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी प्रकार का उजर / एतराज मान्य नहीं होगा एवं आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी चच्योट स्थित गोहर,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है